न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH:-01420-228497 E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :–273/2021
प्रकरण निर्णय दिनांक:–21.08.2023

उनवान– कैलाश वगै. बनाम चिरंजीलाल वगै.

<u>वाद पत्र अधिघोषणा रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नं.–273/2021 सन्–2021

निर्णय दिनांक 21.08.2023

वादीगण द्वारा वाद पत्र अधिघोषणा रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया कि वादीगण की पैतृक आराजी साबिक खसरा नं. 494, 492, 491, 507, 506 मौजा अरनिया में स्थित रही जो जमाबन्दी संवत 2032 से 2035 में सही अंकित रही है। आराजी वादग्रस्त के हाल खसरा नं. 1678 लगा. 1680, 2108 लगा. 2111 कुल रकबा 0.62 हैक्ट. मौजा अरनिया में स्थित है हाल रेवेन्यु रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर एक, दो नाम दर्ज रिकार्ड है। आराजी के साबिका खातेदार मॉग्या, मूल्या पिसरान छाजू कौम नाथ (जोगी) थे। उसमें से सहखातेदार मूल्या नाऔलाद व अन्य वारिस बिना ही फौत हो गया मूल्या का वारिस भाई मॉग्या होने की गरज से विरासत का नामान्तकरण सं. 407 खाता सं. 96 सम्वत 2036 दिनांक 18.03.79 को ग्राम पंचायत के सरपंच कन्हैयालाल द्वारा तस्दीक किया गया है जो सही किया गया। साबिक रेवेन्यु रिकार्ड जमाबन्दी खाता सं. 53 पुरानी जमाबन्दी सं. 96 नामा. सं. 408 का धोबी का नोट लगाते हुए चिरंजीलाल, भगवाना, कौम जोगी को मॉग्या काट कर पटवारी हल्का द्वारा धोबी अशुद्ध गलत अंकित किया गया है जो साबिक रेवेन्यु रिकार्ड जमाबन्दी खतौनी साबिक के विरूद्ध कतई गलत अशुद्ध निराधार किया गया है। प्रतिवादी नंबर 1, 2 का आराजी वादग्रस्त से कोई लेना देना किसी किस्म का नही रहा है। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण की क्रय शुदा भी नहीं है ना ही पैतृक है बल्कि आराजी वादीगण की पैतृक रही है वादीगण रेवेन्यू रिकार्ड की दुरूस्ती करवाने के पूर्णतया हकदार हैं। अतः वादग्रस्त आराजी वर्णित वादपत्र का अशुद्ध अंकन खातेदार प्रतिवादीगण को लोपित फरमाया जाकर शुद्ध अंकन वादीगण की पैतृक एवं वास्तविक खातेदारी मानकर सही शुद्ध रेवेन्यू रिकार्ड अंकन के आदेश फरमावें। तथा वादग्रस्त आराजी के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने एवं बेदखल करने रहन बय अन्तरण करने नामान्तकरण करने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबंधित फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 बावजूद जर्ये रजिस्टर्ड डाक तामील हाजिर नहीं होने पर प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सं. 02 की ओर से सहमति पत्र वास्ते दुरूस्ती इन्द्राज पेश किया गया। साक्ष्यवादी शपथ पत्र कैलाश पुत्र हजारी पेश किया गया। प्रकरण में तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र कमांकः 98 दिनांकः 09.01.23 द्वारा पटवारी हल्का अरनिया मौका रिपोर्ट दिनांकः 24.11.2022 प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी संवत 2074–77 ग्राम अरनिया के खाता सं. 72 खसरा नं. 1678 लगा. 1680, 2108 लगा. 2111 कुल किता 07 कुल रकबा 0.6200 हैक्ट. में खातेदार चिरन्जीलाल, भगवानसहाय पि. मॉग्या जाति धोबी खातेदार के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पुराना रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2032 से 2035 में मॉग्या, मूल्या पि. छाजूलाल कौम जोगी सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड था। व नामान्तकरण सं. 407 विरासत दिनांक 18.03.1979 को मूल्या (अविवाहित फौत) होने पर मांग्या पुत्र छाजू कौम नाथ सा. देह के नाम नामान्तकरण स्वीकृत हुआ। जबकि नामान्तकरण सं. 409 विरासत मांग्या (फौत) पर वारिस चिरंजी व भगवाना से गलत नामान्तकरण खाता सं. 96 में स्वीकृत हुआ व उसका जमाबन्दी चौशाला संवत 2036 से 2039 में गलत इन्द्राज चिरंजी, भगवाना पि. मांग्या कौम धोबी सा. देह दर्ज हुआ जो आज तक लगातार जमाबंदीयों में चलता आ रहा है। मजमे आम में ग्रामीणों ने उक्त भूमि खसरा नंबरों (491, 492, 494, 506, 507) पर वर्तमान में व पूर्व में लगातार कैलाश, छोटेलाल पि. हजारी जाति जोगी निवासी अरनिया का कब्जा होना बताया गया। व मौके पर भी उक्त दोनो व्यक्तियों ने रबी फसल तारामीरा की बुवाई की हुई है। उपर्युक्त अशुद्धि लिपिकीय भूल के कारण हुई। जिसको वर्तमान कब्जा काश्त व रिकार्ड के शुद्ध किया जाना उचित होगा।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with CamScanner

प्रकरण में वादीगण वकील बहस सुनी गयी। वादीगण वकील ने बहस में वादपत्र में वर्णित तथ्यों का दोहराव किया। हमने वादीगण वकील बहस पर मनन किया। वादपत्र व संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबन्दी संवत 2074–77 ग्राम अरनिया खाता सं. नया 72 पुराना 75, मिलान क्षेत्रफल संवत 2041 ग्राम अरनिया, खतौनी बदोबस्त ग्राम अरनिया संवत 2052–71, जमाबन्दी संवत 2032–35 ग्राम अरनिया एवं पटवारी हल्का अरनिया रिपोर्ट दिनांकः24.11.2022 का अवलोकन किया। उपरोक्त अवलोकन से जमाबन्दी संवत 2032 से 2035 में मॉग्या, मूल्या पि. छाजूलाल कौम जोगी सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट है। मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट जिसका नामान्तकरण सं. 407 विरासत दिनांक 18.03.1979 को मूल्या (अविवाहित फौत) होने पर मांग्या पुत्र छाजू कौम नाथ सा. देह के नाम नामान्तकरण स्वीकृत हुआ। जबकि नामान्तकरण सं. 409 विरासत मांग्या (फौत) पर वारिस चिरंजी व भगवाना से गलत नामान्तकरण खाता सं. 96 में स्वीकृत हुआ व उसका जमाबन्दी चौशाला संवत 2036 से 2039 मे गलत इन्द्राज चिरंजी, भगवाना पि. मांग्या कौम धोबी सा. देह दर्ज हुआ जो आज तक लगातार जमाबंदीयों में चलता आ रहा है। तथा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा है। उपरोक्त विवेचन से राजस्व रिकाड्ड में दर्ज उक्त गलत इन्द्राज को वर्तमान कब्जा काश्त व रिकार्ड के शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण वकील बहस पर मनन करने एवं संलग्न दस्तावेजात व पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांकः 24.11.2022 के आधार पर वादीगण वाद अधिघोषणा रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजी डाल खसरा नं. 1678 लगा. 1680, 2108 लगा. 2111 कुल रकबा 0.62 हैक्ट. ग्राम अरनिया तह. बसवा डाल तह. बॉदीकुई का अशुद्ध अंकन खातेदार प्रतिवादीगण को लोपित कर वादीगण के नाम सही शुद्ध रेवेन्यू रिकार्ड अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावंद किया जाता है कि वादीगण को वादग्रस्त आराजी के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करें। पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई तदनानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.08.2023 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)
(दीपक कुमार मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with CamScanner